Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 17, Issue No. 1, April-2020, ISSN 2230-7540

निजी विश्वविद्यालय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली: विकास, चुनोतियाँ और अवसर

Bajrangi Mandal[1]* Dr. Sharmila[2]

[1] Research Scholar, Kalinga University, Raipur

[2] PhD Supervisor, Kalinga University, Raipur

सार – ***इस लेख में हम निजी विश्वविद्यालय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली: विकास, चुनोतियाँ और उनके अवसरों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें हम भारत में निजी विश्वविद्यालय: उच्च शिक्षा में चुनौतियां और अवसर, निजी विश्वविद्यालयों के लिए अवसर, निजी विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश, निजी विश्वविद्यालयों के लिए अवसर, शिक्षा का व्यवसायीकरण और गिरता शैक्षणिक स्तर इन बातों पर विस्तार से अध्ययन करेंगे।***

सूचक शब्द – ***भारतीय उच्च शिक्षा, विकास, चुनोतियाँ, अवसर***

----------X----------

प्रस्तावना

निजी विश्वविद्यालय वे उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं जिन्हें निजी तौर पर लोगों के एक समूह या एक संगठन द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 के तहत बड़ी संख्या में छात्रों के बीच उच्च शिक्षा की प्रसार संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से है, जिसे 1992 में 9 अगस्त को पारित किया गया था। अधिनियम के अनुसार "निजी विश्वविद्यालय"; इस अधिनियम के तहत स्थापित कोई भी निजी विश्वविद्यालय; और इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए और सरकार द्वारा प्रदान की गई शर्तों को पूरा करने में, कोई भी संस्थान किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय के प्रबंधन के तहत प्रबंधित होता है जो ऑनर्स या मास्टर्स डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या किसी भी संस्थान का पाठ्यक्रम संचालित कर रहा हो, जो डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा हो।

निजी विश्वविद्यालय आकार, नामांकन, पाठ्यक्रम, वित्त पोषण प्राधिकरण, वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमता में भिन्न हैं। केवल कुछ विश्वविद्यालय ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और कुछ गुणवत्ता से संबंधित नहीं हैं। सार्वजनिक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए छात्रों का सबसे अच्छा विकल्प है और फिर निजी विश्वविद्यालय आता है। निजी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की विस्तारित मांग के साथ सामना करने के विकल्प के रूप में उभरा। उनमें से कुछ ही मानक बनाए हुए हैं,

भारत में निजी विश्वविद्यालय: उच्च शिक्षा में चुनौतियां और अवसर

उच्च शिक्षा में चुनौतियां

संबोधित किए जाने वाले व्यापक मुद्दों में शामिल हैं, अंतर आलिया, पहुंच, गुणवत्ता, न्यायसम्य, सामर्थ्य, समावेशिता, वित्त पोषण और विनियमन, जिनके समाधान के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

- खराब रोजगार की संभावनाएं खराब उद्योग अकादमिक संपर्क, नरम कौशल की उपेक्षा, वास्तविक समय की समस्याओं को हल करने में असमर्थता, पाठ्यक्रम और उद्योग की बेमेल के कारण स्नातकों की खराब रोजगार क्षमता हो सकती है।
- शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदान किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में एकरूपता का अभाव। विभिन्न निजी

www.ignited.in

संस्थानों द्वारा मूल्यांकन की सामग्री, शिक्षाशास्त्र और रूपों में कोई एकरूपता नहीं है।

- पुराना पाठ्यक्रम अधिकांश संस्थानों में जिस पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है, वह तेजी से बदलते आर्थिक और सामाजिक-तकनीकी वातावरण के साथ तालमेल नहीं रख पाता है।

- उच्च शिक्षा के संकाय संस्थानों की कमी अच्छी गुणवत्ता संकाय की तीव्र कमी का सामना कर रही है। उच्च रैंकिंग वाले छात्र बेहतर करियर संभावनाओं के कारण उद्योग से जुड़ना पसंद करते हैं। शैक्षणिक योग्यता पर प्रतिबंध कभी-कभी उद्योग से अच्छी गुणवत्ता वाले पेशेवरों को नियुक्त करने में चुनौतियां पैदा करता है।

उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए पहले प्रयास - पिछले पांच वर्षों की योजनाओं का विश्लेषण बताता है कि, बुनियादी ढांचे को विकसित करने, कई कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार, सामग्री और मूल्यांकन में सुधार की शुरुआत करने और पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए आधार को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान पांचवीं पंचवर्षीय योजना का फोकस बुनियादी ढांचे के विकास पर था। यह इस प्लांट से था और इसके बाद समेकित और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सातवीं योजना ने अनुसंधान और शैक्षणिक विकास पर जोर दिया। यह इस योजना से था कि उत्कृष्टता और क्षेत्र अंतर वित्त पोषण के विकास केंद्रों को मान्यता दी गई थी। नौवीं योजना का उद्देश्य प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था को तैयार करना है। दसवीं योजना का ध्यान उच्च शिक्षा, अनुसंधान और विकास, वित्तपोषण में प्रबंधन और नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग की गुणवत्ता और प्रासंगिकता के उद्देश्य से था। दसवीं योजना ने 21 वीं सदी में उच्च शिक्षा के लिए आधार प्रदान किया। ग्यारहवीं योजना का उद्देश्य सभी को पहुंच, न्यायसम्य और गुणवत्ता पर ध्यान देकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

निजी विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश

सामान्य तौर पर राज्य सरकार निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने के लिए न्यूनतम सुविधाओं पर जोर दे रही है। यूजीसी ने पहले ही निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और तदनुसार राजस्थान और हरियाणा की राज्य सरकार ने स्व-वित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों के अध्यादेश 2004 के रूप में अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। जिसके अनुसार निम्नलिखित आवश्यक हैं।

क) गैर लाभ के आधार पर एक भरोसा या समाज द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सकती है।

ख) भरोसा इस तरह के शुल्क के साथ निजी विश्वविद्यालय की अनुमति के लिए एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

ग) एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के परियोजना प्रस्ताव में, प्रस्तावित निकाय के प्रायोजन निकाय, नाम और स्थान का विवरण, भूमि और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी, पाठ्यक्रमों की प्रकृति, वित्त की खटास आदि का विवरण होना चाहिए। यदि पहले से उपलब्ध नहीं है, तो न्यूनतम ३० एकड़ जमीन की खरीद करें

च) प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए और अकादमिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए कम से कम 10,000 वर्ग मीटर की जगह का निर्माण करना।

छ) उपकरण खरीदने के लिए, पहले वर्ष के लिए न्यूनतम 20 लाख तक।

ज) न्यूनतम संकाय की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए तुरंत नियुक्ति देने का वचन दें। सहायक कर्मचारी, पाठक और सहायक कर्मचारियों के साथ पर्याप्त संख्या में व्याख्याता।

सुरक्षा जमा राशि के रूप में 1 करोड़ के लिए एक बंदोबस्ती कोष की स्थापना करें।

राज्य सरकार अनुपालन रिपोर्ट को सत्यापित करने के लिए तीन सदस्य समिति की नियुक्ति करेगी। समिति अपने संविधान की तारीख से एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से निजी विश्वविद्यालय को अनुमोदन जारी करेगी। ऊपर से यह स्पष्ट है कि यूजीसी, डीम्ड विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालयों में शामिल लंबी प्रक्रियाओं के साथ तुलना करने पर उपरोक्त प्रक्रिया सरल हो जाती है। इसलिए कई उद्योगपति और समाज निजी

विश्वविद्यालयों के विकल्प का चयन कर रहे हैं, जो दिल्ली के एनसीआर क्षेत्रों जैसे अधिक बेहतर क्षेत्र हैं। हालाँकि इन सभी निजी विश्वविद्यालयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है। इन निजी विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए यूजीसी उन पाठ्यक्रमों के लिए व्यावसायिक परिषदों जैसे एआईसीटीई, एनसीटीई, एमसीआई, पीसीआई आदि से अनुमोदन पर जोर दे रहा है । सभी एक साथ स्व वित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों के अनुमोदन के लिए तंत्र स्पष्ट कटौती मानदंडों के साथ है, लेकिन अभी तक जो विश्वविद्यालय लागू कर रहे हैं वे कार्यान्वयन स्तर पर एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील हैं।

शिक्षा का व्यवसायीकरण और गिरता शैक्षणिक स्तर

शिक्षा स्वतंत्रता दिलाने वाला एक शक्ति है जो जाति तथा श्रेणी के भेदभाव को दूर करती है। यही कारण है कि भारतीय संविधान में शिक्षा द्वारा असमानता को दूर करने की बात कही गई है। कहना न होगा कि समन्वयवादी सामाजिक व्यवस्था की दीर्घकालीन भूमिका होती है। जो बहुत तेजी के साथ अपनी विश्वविसनीयता सामाजिक व्यवस्था की दीर्घकालीन भूमिका होती है। जो बहुत तेजी के साथ अपनी विश्वसनीयता खेती जा रही है। आखिर इसके लिये जिम्मेदार कौन ? एक तरफ सरकार सस्ती शिक्षा देने के नाम पर शिक्षा का अंधाधुंध पैसा खर्च करती आ रही है तो दूसरी ओर शिक्षा की दुकाने नित नये-नये नाटकों से शिक्षा के भूखों से धन बटोरने में सफल हो रही है।

अगर शिक्षा पाने के इच्छुकों के पास धन नहीं है तो क्या कारण है कि हर गली-कूचे मे अन्तर्राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल से लेकर विश्वव्यापी विश्वविद्यालय तक खुल रहे हैं। स्वाभाविक है कि अब शिक्षा पर सरकारी सहायता के लिये जनता वास्तव में मोहताज नहीं है पर अगर मुफ्त का माल मिल रहा है तो क्यों न उड़ाया जाए वाली भावना तो उपस्थित है ही, यही कारण है कि राज्य की अनेक शिक्षण संस्थाओं के संचालक अपनी राजनीतिक पहुँच अथवा जोड़-तोड़ की राजनीति से शिक्षा के नाम पर लाखों रूपये अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा पर 80 करोड़ के खर्च के मुकाबले प्रदेश में इस मंद का 450 करोड़ रूपये खर्च कर शैक्षणिक स्तर ऊँचा उठाने का प्रयास किया गया है। शिक्षा का व्यवसायीकरण अब लगभग पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है। यद्यपि आंकड़ों की उपलब्धता नहीं है पर यह अवश्य है कि आम विद्यार्थी जितनी सरकारी सहायता शिक्षा पाने के लिये करता है, उससे ज्यादा वह खर्च करता है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियोंको भी ट्यूशनों में पैसा खर्च करना पड़ता है। पुस्तकों, सहायक पाठ्य सामग्री, परीक्षा शुल्क, विविध आदि पर हर वर्ष भारी राशि खर्च की जाती है। यह राशि शिक्षा पर सरकारी अनुदान से कम न होगी, अब समय आ गया है, कि जबकि शिक्षा को सरकारी संरक्षण और नियंत्रण से निकाल लिया जाए,सभी स्कूल-कालेजों का अपना खर्च स्वयं उठाने को कहा जाए, प्राथमिक शिक्षा अवश्य सरकारी सहायता पर मिलती रहे पर उस पर नियंत्रण स्थानीय लोगों का हो, ताकि शिक्षा माफिया इस पैसे के दुरूपयोग न कर सके।

शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण व समानता आवश्यक है। वर्तमान में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में दी जा रही शिक्षा में पर्याप्त असमानता है। फलतः उच्च शिक्षा हेतु नगरीय पाठ्यक्रम के साथ ग्रामीण विद्यार्थी अपरिचित ही रह जाता है।

यह बात बार-बार उभरकर सामने आई है कि ग्रामीण छात्रों में पर्याप्त प्रतिभा होते हुए भी वह उच्च शिक्षा हेतु अनुपयुक्त हो जाता है, इसके पीछे मूलतः यही कारण है कि ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को सीमित कर दिया जाता है। वह एक तरह की शैक्षणिक पाठ्यक्रम का निर्धारण शासकीय स्तर पर हो, जिसमें अक्षर ज्ञान के अतिरिक्त आने वाले चरणों की सामग्री का भी लघु ज्ञान विद्यार्थियोंको दिया जावे।

कोठारी आयोग ने इस बात पर पर्याप्त बल दिया था कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में चलाये जा रहे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में समानता हो, किन्तु यह असमानता आज भी कायम है। वर्तमान में मुख्य रूप से तीन तरह के महाविद्यालय हैं, एक शासन द्वारा संचालित शासकीय महाविद्यालय, किन्तु इन विद्यालयों की कार्य व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों का वेतन, सुविधाएं और शिक्षा के साधनों में काफी फर्क है, शहरों में उच्चतम शुल्क लेने वाली शिक्षण संस्थानों की बाढ़ सी आयी हुई है, जिनमें शिक्षकों की स्थिति, वेतन आदि के मामलों में बंधुआ मजदूर जैसी है। शहरी शिक्षण संस्थाओं में अधिकांशतः स्थानीय शिक्षक ही कार्यरत होते है। जिसका परिणाम उनकी अधिकाधिक अनुपस्थिति है और इसका साक्षेप शिक्षा पर पड़ता है। स्थानीय शिक्षक ट्यूशन व अन्य व्यवसाय में संलग्न रहते हैं और अध्यापन को गौण स्थान देते हैं। इसके विपरीत शासकीय स्कूलों सामान्यतः मध्यम व निम्न कर्मी संविदा शिक्षक, गुरूजी, जनभागीदारी शिक्षक अध्ययन अध्यापन में कार्य की महती भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक असमानता में कार्य की महती भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में

आर्थिक असमानता से ग्रस्त हैं। इस मामलों में शासन की उदासीनता से न केवल शिक्षा जगत में जुड़े कर्मीजन वरन् उनके परिजन भी दुखी व बेबस हैं। एक ओर जहाँ शिक्षा मद में करोड़ो रूपये खर्च हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा कर्मी को विभागीय कर्मियों सदृश्य समान वेतन, भत्ते, लाभ तथा सुविधाओं से क्यों वंचित रखा गया है ? क्या हम उन प्रतिभाशाली उच्च शिक्षित युवकों को कम वेतन पर भर्ती कर अपने शिक्षा केन्द्रों का उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे ? शिक्षा जैसे प्रथम आवश्यक जनकल्याण कार्य हेतु शासन को खुले मन से विचार कर कर्मियों के भविष्य निर्माण पर ध्यान देना होगा, ताकि शिक्षण स्तर को ऊँचा उठाया जा सके, तब तक समानता के आधार पर शिक्षा पद्धति पर व्यवस्था में समन्वय नहीं लाया जाता तब तक व्यवहारिक एवं गुणात्मक शिक्षा की बात करना ऊँची उड़ान भरना है।

यद्यपि शिक्षा विदों ने अनेक बार यह बात कही है कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और तकनीक के अनुरूप हमें अपने शिक्षा को बनाना है, किन्तु इसके सामाजिक पहलू पर शायद गौर नहीं किया जा रहा है। तकनीक किसे कहते हैं ? क्या केवल भारी-भरकर पूंजीगत तथा केन्द्रीकृत प्रौद्योगिकी ही तकनीक है ? क्या यह तकनीक हमारे देश की आवश्यकता के अनुरूप है ? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान शिक्षा नीति में अनिवार्य रूप से समाहित होने चाहिये। आज युवा वर्ग व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर बहुत धन खर्च करने लगे हैं। दरअसल हमारी शिक्षा पद्धति एवं शिक्षण प्रणाली में व्यापक सुधार अपेक्षित है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोगों को बंद किया जाए तथा समन्वय एवं समानता के आधार पर शिक्षा नीति का निर्धारण कर शिक्षकों के जीवन स्तर को भी ऊँचा उठाया जाए।

भारत में निजी विश्वविद्यालयों का विकास उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि

भारतीय उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका पिछले एक दशक में काफी बढ़ी है, जिसमें अधिकांश छात्र वर्तमान में निजी संस्थानों में नामांकित हैं। यह शिक्षा में भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने की कुंजी है। यह भूमिका केवल इस क्षेत्र में आवश्यक निवेश को देखते हुए बढ़ेगी। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली ने पिछले दशक में प्रभावशाली विकास का प्रदर्शन किया है जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है और अगले पांच वर्षों में अमेरिका से आगे निकलने और अगले 15 वर्षों में चीन से उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी प्रणाली बनने की संभावना है।

निजी क्षेत्र का आकार संस्थानों और छात्र नामांकन की संख्या के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का लगभग दोगुना है। भारत में दुनिया भर में उच्च शिक्षा के 31,000 से अधिक संस्थान हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल सात प्रतिशत, राज्य विश्वविद्यालयों में 46 प्रतिशत और राज्य निजी विश्वविद्यालयों में 16 प्रतिशत शामिल हैं; डीम्ड विश्वविद्यालय, 21 प्रतिशत; राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, कुल का लगभग नौ प्रतिशत। कुल मिलाकर, देश में संस्थानों की संख्या 11 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। संस्थानों के तेजी से विकास, ज्यादातर निजी, ने छात्रों को धन की अपेक्षित राशि का भुगतान करने और उन्हें प्राप्त करने के प्रयास के लिए योग्यता की सख्त आवश्यकता की अनुमति दी है।

इससे पहले, उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी इंजीनियरिंग, प्रबंधन और चिकित्सा जैसे अति विशिष्ट क्षेत्रों में रही है। हालाँकि, बढ़ती जरूरतों का ध्यान रखने के लिए उच्च शिक्षा में भारी निवेश करने की सरकार की अक्षमता ने इस क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए व्यापक स्तर पर खुला छोड़ दिया है। अधिकांश निजी संस्थानों को सरकार से सहायता प्राप्त नहीं होती है, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 52 प्रतिशत अनुदान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जाते हैं, जो एक लाख से कम छात्रों को पूरा करते हैं।

भारत में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लगभग 60 प्रतिशत से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान निजी संस्थान हैं जिनमें लगभग 60 प्रतिशत छात्र नामांकित हैं। निजी संस्थान एक पूर्व-स्नातक सभी पूर्व-स्नातक कोर्सेज, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, लॉ एंड आर्ट एंड डिजाइन, दूसरों के बीच उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा में अधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए नियामक ढांचे को सरल बनाया है।

निजी विश्वविद्यालयों के लिए अवसर

- भारत सरकार ने 2020 तक उच्च शिक्षा में 30% जीईआर प्राप्त करने का एक आक्रामक लक्ष्य निर्धारित किया है, जो अगले 8 वर्षों में जीईआर को दोगुना करने का अनुवाद करता है।
- एनयूईपीए द्वारा हाल के अनुमानों के अनुसार, इस लक्ष्य को अतिरिक्त निवेश प्राप्त करना है। रु. 9.5 लाख करोड़, जिसमें पूंजीगत व्यय और

www.ignited.in

परिचालन व्यय शामिल हैं, को अगले 8 वर्षों में बनाया जाना है। एक परिप्रेक्ष्य देने के लिए, 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के तहत पूरे शिक्षा क्षेत्र को कुल आवंटन रु. 2.7 लाख करोड़ था। जिसमें से उच्च शिक्षा का हिस्सा केवल 30% था।

- इसलिए, सीमित समर्थन को देखते हुए, जो सरकार निवेश के मामले में इस क्षेत्र को प्रदान कर सकती है, निजी क्षेत्र को बहुत बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

- निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका: उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका पिछले एक दशक से तीव्र गति से बढ़ रही है और जीईआर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्वरित दर का विस्तार करने की आवश्यकता है।

- निजी और विदेशी क्षेत्र की भागीदारी के लिए मौजूदा और भविष्य के अवसर: भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या एक महत्वपूर्ण दर से बढ़ रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2006-07 में नामांकन 15.5 (12.4% का जीईआर) से बढ़कर 2009 में 17.3 (15% का जीईआर) हो गया है। ये आंकड़े युवा कामकाजी उम्र के लोगों की बढ़ती संख्या को भी दर्शाते हैं। शिक्षा प्रणाली में पढ़ाई छोड़ने के बजाय। शैक्षिक संस्थानों में नामांकित 15-24 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की संख्या 2004-05 में लगभग 30 मिलियन से बढ़कर 2009-10 में 60 मिलियन हो गई। ये रुझान निजी और विदेशी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सेवाएं प्रदान करने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करते हैं।

उपसंहार

निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में घातीय वृद्धि को परिणामों की गुणवत्ता के आधार पर विनियमित करने की आवश्यकता है। आईआईटी जैसे संस्थानों की सीमित संख्या में सब्सिडी देने के बजाय छात्रों की योग्यता के आधार पर सरकारी धन और छात्रवृत्ति को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। निजी संस्थानों के अनियंत्रित और असंतुलित विकास को अनुसंधान आधारित विश्वविद्यालयों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने और उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय विषमता को सही करने के लिए विनियमित करने की आवश्यकता है। यह शिक्षण संस्थानों के लाभ की प्रकृति के लिए वर्तमान प्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। संकायों की कमी को दूर करने के लिए नियामकों को शिक्षाविदों के अनुभव पेशेवरों की अनुमति देने की संभावनाओं पर विचार करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

अग्रवाल, पी. दक्षिण एशिया के देशों में उच्च शिक्षा का निजीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण: एक अनुभवजन्य विश्लेषण। नई दिल्ली, भारत: अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (ICRIER)

अल्टबैक, पी. (1999)। निजी प्रोमेथियस: 21 वीं सदी में निजी उच्च शिक्षा और विकास। वेस्टपोर्ट, यूएस: ग्रीनवुड प्रेस।

अल्टबैक, पी. (2009)। विश्व का एक तिहाई हिस्सा: चीन और भारत में उच्च शिक्षा का भविष्य। संभावनाएँ, ३९

ईवाई-फिक्की (2009)। भारतीय उच्च शिक्षा को तैयार करना। 17 जनवरी 2012 को लिया गया

ईवाई-फिक्की (2012)। भारत में उच्च शिक्षा: बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) और उसके बाद। कोलकाता, भारत: अर्न्स्ट एंड यंग प्रा। लिमिटेड

गुप्ता, डी। एंड गुप्ता, एन। (2012)। भारत में उच्च शिक्षा: संरचना, सांख्यिकी और चुनौतियां। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। 3 (2) पोवार

अमलंज्योति गोस्वामी (2012), "उच्च शिक्षा कानून और भारत में निजी तौर पर वित्तपोषित विश्वविद्यालय शिक्षा; विज़न की ओर? ", भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2012।

अंदलीब, एस.एस. (2003), "कायाकल्प राष्ट्र के उच्च शिक्षा प्रणाली", अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ढाका, बांग्लादेश द्वारा आयोजित कार्यशाला की कार्यवाही।

असदुज्जमान, मोअज्जिम हुसैन, महाबूबुर्रहमान (2013), सेवा की गुणवत्ता और छात्र संतुष्टि: बांग्लादेश में निजी विश्वविद्यालयों पर एक मामले का अध्ययन", अर्थशास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, वित्त

और प्रबंधन विज्ञान, वॉल्यूम। 1 (3), पीपी। 128-135 ऑनलाइन प्रकाशित 30 मई, 2013

जमाल, शकट ए। एन। एम।, (2002), "मानव संसाधन विकास में निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका", 24 फरवरी, 2009 को लिया गया, भारत में निजी विश्वविद्यालय और शिक्षा की गुणवत्ता मानविकी सामाजिक विज्ञान और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (IJHSSE) पृष्ठ 144

जॉन एफ। कैनेडी ने कांग्रेस को शिक्षा पर एक विशेष संदेश में, 20 फरवरी 1961, (8 नवंबर 2012 को एक्सेस किया गया)।

अबू नसेर (2013), "बांग्लादेश में निजी विश्वविद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता: संकाय संसाधन और बुनियादी ढांचे के परिप्रेक्ष्य", सामान्य और सतत शिक्षा विभाग (GCE), उत्तर दक्षिण विश्वविद्यालय ढाका, Google 12 अगस्त 2015 से डाउनलोड किया गया।

Corresponding Author

Bajrangi Mandal*

Research Scholar, Kalinga University, Raipur